

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

म्युनिसिपल निगरानी संख्या 01/2020

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

मीठालाल पुत्र गुलाबचंद
जाति जैन, निवासी ग्राम बाली
जिला पाली

1. मोहम्मद अयूब पुत्र हाजी कासम खां,
जाति मुसलमान निवासी गुलाब
सागर (गुली) कस्बा बाली, जिला
पाली
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका
बाली जिला पाली

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 73 राजस्थान नगर पालिका
अधिनियम 2009 विरुद्ध अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बाली
प्रार्थी को आवंटित स्ट्रीप लैण्ड का अप्रार्थी को दुबारा आवंटन/
विक्रय विलेख पत्रावली संख्या 15/2005-06 दिनांक 30.9.14

उपस्थित-

1. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भरत श्रीमाली व महेन्द्र प्रजापत अधिवक्ता अप्रार्थी से. 1 की ओर उपस्थित।
3. श्री मूलसिंह यादव, श्री विक्रम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 की ओर से
उपस्थित।



निर्णय

दिनांक 17.04.2023

1. प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वर्ष 2004 में प्रार्थी श्री मीठालाल पुत्र गुलाबजी, निवासी सुभाष बस्ती, बाली-फालना मुख्य मार्ग स्थित अपने भूखण्ड संख्या 162 के उत्तर में खांचा भूमि का आवंटन हेतु नगर पालिका बाली के समक्ष आवेदन किया गया जिसमें पत्रावली संख्या 16/04-05 में बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत नगर पालिका बाली ने उक्त खांचा भूमि आवंटन हेतु 1,68,000/- रुपये की मांग पत्र जरिये क्रमांक 775 दिनांक 8.11.2004 को जारी करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त राशि दिनांक 16.11.2004 को नगर पालिका बाली के कार्यालय में जमा करवाने के उपरांत नगर पालिका द्वारा उक्त खांचा भूमि का विक्रय विपत्र संख्या 25 दिनांक 24.01.2005 को प्रार्थी कपूरचंद, गुलाबचंद पुत्र भैराजी व मीठालाल पुत्र गुलाबचंद के नाम जारी किया गया, जो उप-पंजीयक बाली के

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

कार्यालय में दिनांक 27.04.2005 को पंजीबद्ध हुआ। जिसमें खरीददार के नक्शे में बताई गई 420 वर्गफीट (10x42 फुट) बाली-सादडी रोड पर हस्तांतरित की गई।

प्रार्थी के आवेदन में प्लॉट का विवरण तथा क़य दस्तावेज में प्लॉट का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

- i- उत्तर में गली खालसा 10 फुट
- ii- दक्षिण में गली खालसा 10 फुट
- iii- पूर्व में खालसा भूमि
- iv- पश्चिम में आम रास्ता(आम रास्ता 20 फीट, सर्टिफिकेट निलाम आराजी में)

2. वर्ष 2005 में अप्रार्थी सं० 1 मोहम्मद अयुब पुत्र हाजी कासम खां निवासी सुभाष बस्ती, बाली-सादडी सड़क के किनारे स्थित अपने भूखण्ड संख्या 161 के दक्षिण दिशा की ओर खांचा भूमि का आवंटन हेतु नगर पालिका बाली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें पत्रावली संख्या 15/05-06 में बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत नगर पालिका मण्डल बाली की साधारण सभा की बैठक दिनांक 12.09.2006 के प्रस्ताव सं० 5 में खांचा भूमि संबंधी मामलों के क्रम सं 4 में उल्लेखित उक्त खांचा भूमि आवंटन हेतु 1,76,000/- रुपये जमा करवाने के निर्णयानुसार प्रार्थी द्वारा जरिये रसीद क्रमांक 10333 दिनांक 11.07.06 द्वारा 1,00,000/- एवं रसीद क्रमांक 10362 दिनांक 26.07.06 द्वारा 76,000/- नगर पालिका बाली के कार्यालय में जमा करवाये गये। तदुपरांत नगर पालिका द्वारा उक्त खांचा भूमि का विक्रय विपत्र प्राथी मोहम्मद अयूब पुत्र हाजी कासमजी के नाम उप पंजीयक बाली के कार्यालय में दिनांक 30.09.2014 को पंजीबद्ध हुआ, जिसमें खरीददार के नक्शे में बताई गई 430 वर्गफीट (पूर्व/पश्चिम 10x44 उत्तर व 42 दक्षिण में कुल 430 वर्गफीट) बाली-सादडी रोड पर हस्तांतरित की गई। प्रार्थी के आवेदन में प्लॉट का विवरण तथा क़य दस्तावेज में प्लॉट का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

- i- उत्तर में प्रार्थी के पिता का खरीदसुदा प्लॉट(40 फुट रोड, सर्टिफिकेट निलाम आराजी में)
- ii- दक्षिण में भूखण्ड सं० 162(दक्षिण में गली खालसा 10 फुट, सर्टिफिकेट निलाम आराजी)
- iii- पूर्व में दरवाजा व आगे बाली-सादडी सड़क(धोरा सर्टिफिकेट निलाम आराजी में)
- iv- पश्चिम में आम रास्ता 20 फीट

3. इससे व्यथित होकर प्रार्थी मीठालाल ने नगरपालिका बाली द्वारा पूर्व में उसे आवंटित की गई खांचा भूमि का अप्रार्थी सं० 1 को दुबारा आवंटन कर दिये जाने संबंधी




डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

उल्लेखित तथ्यों के आधार पर राज0 नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 के तहत यह निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

4. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि नगरपालिका बाली द्वारा प्रार्थी को आवंटित खांचा भूमि का जारी पंजीबद्ध पट्टा विलेख आज दिन तक निरस्त नहीं किया गया है। इसलिए इस पट्टे का दोबारा पट्टा किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका द्वारा की गई समस्त कार्यवाही अवैध एवं प्रभाव शून्य है। पूर्व में नगर पालिका बाली द्वारा प्रार्थी को यह आश्वासन दिया गया कि उनके भूखण्ड के उत्तर दिशा की खांचा भूमि आवंटन के बदले उन्हें दक्षिण दिशा की खांचा भूमि आवंटित की जावेगी, लेकिन प्रार्थी को दक्षिण दिशा की खांचा भूमि आवंटित नहीं की गई एवं न ही ऐसी कोई एक्सचेंज डीड प्रार्थी के नाम जारी की गई। नगर पालिका की कार्यालय टिप्पणी में स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित खांचा भूमि प्रार्थी को पूर्व में विक्रय की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उस विक्रय विलेख को निरस्त नहीं किया जाता तब तक नगर पालिका द्वारा उसे दोबारा बेचान करने की कार्यवाही एब-इनिशियो-वोर्ड होने से अप्रार्थी सं0 1 को जारी विक्रय विलेख निरस्त फरमावे।

अंत में प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा विकल्पतः प्रार्थी को उत्तर दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में खांचा भूमि आवंटित कर एक्सचेंज डीड जारी करने हेतु नगर पालिका बाली को आदेशित करने का आग्रह किया गया।

5. जवाब में अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी नगरपालिका बाली के आदेश दिनांक 29.9.14 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित स्ट्रीप लैण्ड की पट्टा पत्रावली संख्या 15/2005-06 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी को उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा उसके भूखण्ड संख्या 162 के दक्षिण दिशा में स्थित 10x42 फुट स्ट्रीप लैण्ड का बेचान चेलाराम, राईगाराम पुत्र भूराराम को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 17.6.2010 द्वारा कर दिया गया है। उक्त बेचान में प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा है कि भूखण्ड सं0 162 के अडोअड दक्षिण दिशा में एक खांचा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नगर पालिका बाली द्वारा विक्रय



डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पत्र संख्या 25 वाद क्रम संख्या 161/2004-2005 दिनांक 24.01.2005 को कपूरचंद, गुलाबचंद पुत्र भैराजी व मीठालाल पुत्र गुलाबचंद जाति जैन निवासी बाली के नाम जारी किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नगर पालिका बाली ने प्रार्थी को भूखण्ड सं० 162 में स्थित खांचा भूमि का पट्टा प्रार्थी को जारी किया गया था तथा उसने उक्त भूमि अन्य को बेचान कर दी है। अतः प्रार्थी-मीठालाल को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी लिखित कथनों के समर्थन में प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा सं० 25 की प्रमाणित प्रति एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 17.06.2010 की छांया प्रति प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी सं० 1 के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि नगर पालिका बाली द्वारा अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है उसके पूर्व में कोई भी पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी नहीं किया गया था। नगर पालिका बाली द्वारा दिनांक 29.04.2014 को अप्रार्थी सं० 1 के प्लॉट संख्या 161 के दक्षिण में स्थित स्ट्रीप लैंड का पट्टा पत्रावली सं० 15/05-06 में जारी किया गया है तथा प्रार्थी का पट्टा उसके प्लॉट सं० 162 के दक्षिण दिशा में स्थित स्ट्रीप लैंड का पट्टा जारी किया गया था। अतः यह कहना कि प्रार्थी के पक्ष में जारी किये गये पट्टे की जमीन का दुबारा अप्रार्थी सं० 1 को पट्टा जारी किया गया, सरासर गलत है। प्रार्थी स्वयं ने दिनांक 02.06.2009 व 18.6.2009 को नगर पालिका बाली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके भाईयों के नाम से बाली-सादडी मुख्य सड़क पर स्थित भूखण्ड सं० 162 के दक्षिण दिशा में चाही गई खांचा भूमि नगर पालिका बाली द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 24.01.2005 को जरिये विक्रय पत्र संख्या 25 निष्पादित की गई। उक्त विक्रय विपत्र दस्तावेज के पेज संख्या 3 'परिशिष्ट' में पडौस व नक्शा खांचा भूमि सहवहन से गलत दर्ज किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार बतलाया है '-

- उत्तर में - चुन्नीलाल, दरगाजी का भूखण्ड
- दक्षिण में - गली खालसा
- पूर्व में - आम रास्ता (खालसा भूमि)
- पश्चिम में - आम रास्ता सादडी रोड

उक्त प्रार्थना पत्र में उपरोक्त आस-पडौस व नक्शा शुद्धि निम्न प्रकार प्रस्तावित कर, शुद्धि पत्र जारी करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गई-


 डिविजनल कमिश्नर
 जोधपुर



उत्तर में – खालसा गली, जो पूर्व में मुसलमानों को दी गई है।
 दक्षिण में – चुन्नीलाल, दरगाजी का भूखण्ड
 पूर्व में – आम रास्ता सादडी रोड
 पश्चिम में – आम रास्ता (खालसा भूमि)

इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 162 के दक्षिण में स्थित विक्रयसुदा स्ट्रीप लैण्ड के क्रेता श्री चेलाराम, राईगाराम द्वारा भी नगर पालिका बाली के समक्ष दिनांक 26.4.13 को प्रार्थना पत्र व सहमति पत्र प्रस्तुत कर खांचा भूमि की शुद्धिकरण की कार्यवाही हेतु आग्रह किया गया, जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गई।

अंत में अप्रार्थी सं० 1 के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि वस्तुतः नगर पालिका बाली द्वारा अप्रार्थी सं० 1 को जारी पट्टा वैधानिक रूप से सही है तथा उक्त पट्टा जारी करते समय नगर पालिका द्वारा विधि अनुरूप सभी प्रावधानों की पालना की गई है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि उसे दक्षिण दिशा में स्थित खांचा भूमि का आवंटन नहीं किया गया, अपितु सहवहन से आस-पड़ोस गलत अंकित किया गया, उसका पंजीबद्ध विक्रय पूर्व में ही दिनांक 17.6.2010 को चेलाराम, राईगाराम को कर दिया गया। यदि नगर पालिका द्वारा प्रार्थी को उक्त खांचा भूमि का आवंटन नहीं किया होता तो वह इसका बेचान नहीं कर सकता था। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में नगर पालिका बाली द्वारा जारी पट्टे अलग-अलग स्ट्रीप लैण्ड के हैं। इसके अलावा उक्त निगरानी समय बाधित है, क्योंकि विधि अनुसार म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्य कि उसे दिनांक 23.12.2019 को नकले प्राप्त हो चुकी थी, परंतु प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 06.01.2020 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 23.12.19 से 6.1.20 तक के हुए विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया। अतः प्रार्थी की निगरानी याचिका समय बाधित होने मात्र से खारीज योग्य है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारीज करने का आग्रह किया गया।

5. अप्रार्थी सं० 2 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बाली की ओर से रेकॉर्ड अनुसार प्रकरण में दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत जवाब निगरानी में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्त निगरानी याचिका में अप्रार्थी सं० 2-अधिशाषी अभियंता नगर




 डिविजनल कमिश्नर
 जोधपुर

पालिका बाली को गलत पक्षकार बनाये जाने व अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2014 जिसके द्वारा प्रार्थी को आवंटित स्ट्रीप लैण्ड का अप्रार्थी सं० 1 को पत्रावली सं० 15/05-06 में दुबारा आवंटन गलत दर्शाया गया है। क्योंकि उक्त दिनांक को किसी प्रकार का पट्टा आवंटन नहीं हुआ, बल्कि उक्त दिनांक को अप्रार्थी सं० 1 के द्वारा अपने पिता हाजी कासम पुत्र हाजी मुसाजी की ओर से दिनांक 16.09.2014 को पेश कर निवेदन किया कि "मेरे पुश्तैनी एवं आवासीय भूखण्ड पट्टा सं० 161 के चिपती हुई खांचा भूमि क्रय करने की पत्रावली सं० 15/05-06 में मांग अनुसार नगर पालिका बाली में जरिये रसीद दिनांक 11.7.16 द्वारा राशि 1,00,000/- रुपये तथा रसीद दिनांक 26.7.06 द्वारा 76,000/- कुल 1,76,000 रुपये पालिका कोष में जमा करवाये गये, जिसका पट्टा बनाने की मांग की गई। जिस पर मण्डल की साधारण सभा दिनांक 26.9.14 की बैठक कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव सं० 2 में उक्त खांचा भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। ऐसी स्थिति में श्री गुलाबचंद वगैरह को वर्तमान मौका स्थिति अनुसार पट्टे में नियमानुसार दिशाओं में परिवर्तन करने एवं श्री हाजी कासम पुत्र हाजी मुसाजी की ओर से श्री अयुब खां पुत्र कासम खां को उनके भूखण्ड सं० 161 के प्रयोजन अनुसार लीज राशि मय स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर जारी करने का प्रस्ताव लिया गया। इनके द्वारा तय लीज राशि दिनांक 30.9.14 को जमा करवाये जाने पर पट्टा विलेख जारी किया गया। इससे प्रार्थी की निगरानी बरखिलाफ आदेश दिनांक 29.4.14 अधिशाषी अभियंता न०पा० बाली प्रथम दृष्टया काबिल खारीज है।

इसके अलावा निगरानी कर्ता का भूखण्ड सं० 162 प्रार्थी मीठालाल अकेले का न होकर मीठालाल व कपूरचंद पुत्र गुलाबचंद के नाम जारीसुदा है। इस भूखण्ड के उत्तर में 10x42=420 वर्ग फुट स्ट्रीप लैण्ड इन सभी के नाम पत्रावली सं० 16/04-05 में विक्रय विलेख सं० 25 दिनांक 24.01.2005 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख निष्पादित की गई। जिसके पडौस व दिशा त्रुटीवश नक्शा में निम्न प्रकार गलत दर्ज किए गये हैं -

- उत्तर में - चुन्नीलाल, दरगाजी का भूखण्ड
- दक्षिण में - गली खालसा
- पूर्व में - आम रास्ता (खालसा भूमि)
- पश्चिम में - आम रास्ता सादडी रोड

इसके विपरित अप्रार्थी सं० 1-मोहम्मद अयूब ने अपने पिता हाजी कासम की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाली-सादडी सडक पर उसके पुश्तैनी भूखण्ड सं० 161 के



मिथलाल कमिशनर
जोधपुर

दक्षिण दिशा की ओर खांचा भूमि माफिक नक्शा मांग, उसके पडौस व नाप निम्न प्रकार बतलाये है -

उत्तर में - प्रार्थी का पुश्तैनी भूखण्ड सं० 161
दक्षिण में - अन्य का भूखण्ड सं० 162
पूर्व में - दरवाजा व आगे बाली-सादडी सडक
पश्चिम में - आम रास्ता 20 फीट

नाप में पूर्व में 10 फीट, पश्चिम में 10 फीट, उत्तर में 44 फीट, दक्षिण में 42 फीट कुल क्षेत्रफल 430 वर्गफीट।

प्रार्थी श्री गुलाबचंद द्वारा नगरपालिका बाली के समक्ष वर्ष 2009 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया गया कि उसके प्लॉट सं० 162 के उत्तर दिशा में $10 \times 42 = 420$ वर्गफुट जारी की गई थी, जबकि वास्तव में उसके भूखण्ड के दक्षिण दिशा $10 \times 31.5 = 315$ वर्गफुट स्थित है। इसी की उनके द्वारा मांग की गई थी व उसी पर इनका कब्जा भी है, का शुद्धि पत्र जारी किया जाना तथा प्रार्थी से प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि पुनः लौटाया जाना न्याय संगत है।

इसके अलावा श्री मीठालाल पुत्र गुलाबचंद व कपूरचंद पुत्र भेराजी ने भूखण्ड सं० 162 का 4 भूखण्डों में उप-विभाजन कर दिया गया, जिसके भूखण्ड सं० 4 का श्रीमती शांतिदेवी सोनी को दिनांक 25.8.09 को पंजिबद्ध बेचान करने से उनके द्वारा उसके भूखण्ड के आगे स्थित दक्षिण दिशा की खांचा भूमि आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें पत्रावली सं० 24/12-13 कायम कर मांग राशि पालिका में जमा करवायी गई। जो पालिका द्वारा पुनः लौटाई जाने पर इनके द्वारा लेने से इन्कार करते हुए जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस दिया गया।

तत्पश्चात गुलाबचंद के वारिसान द्वारा दिनांक 17.06.2010 को विक्रय विलेख पत्र 25 दिनांक 24.1.05 से आवंटित खांचा भूमि का पंजिबद्ध बेचान दक्षिण दिशा दर्शाकर चेलाराम, राईगाराम पुत्र भूराराम निवासी सेसली को कर दिया गया। जिनके द्वारा नगरपालिका के समक्ष वर्ष 2013 व 2015 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विक्रय विलेख सं. 25 में दर्शाये गये गलत पडौस व दिशा का शुद्धि पत्र जारी करने का आग्रह किया गया, जिसमें उत्तर दिशा की खांचा भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होना दर्शाया गया, किंतु भूखण्ड सं० 162 की विक्रयसुदा खांचा भूमि के क्रेतागण चेलाराम, राईगाराम को उक्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा की खांचा भूमि खांचा भूमि का आवंटन संभव नहीं हुआ, जिसमें विभाग स्तर से मार्गदर्शन अपेक्षित है। वर्ष 2016 में मीठालाल



डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

व अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना बाली में एफआईआर नं० 72/3.5.16 दर्ज करवायी गई। उक्त फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है।

नगर पालिका के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया कि अप्रार्थी सं० 1 मोहम्मद अयुब द्वारा उपरोक्त पडौस के बीच का भूखण्ड स्वयं का कब्जासुदा, पट्टासुदा बताकर अप्रार्थी सं० 2-नगर पालिका बाली के विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बाली, जिला पाली (राज०) में दिनांक 21.10.2019 को वाद वास्ते सार्वकालिक निशेधाज्ञा, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया है, जिसके वाद संख्या 52/19 व सिविल विविध प्रकरण संख्या 34/19 है। जिसमें सिविल विविध प्र० सं० 34/19 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2020 को मुख्यतः यह आदेश पारित किया गया है कि "उभय पक्ष को अस्थाई निशेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि अप्रार्थीमूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी को वादग्रस्त भूखण्ड पद संख्या 2 में वर्णित पडौस बीच व साथ प्रस्तुत नक्शे का भाग अ, ब, स, द 10 फीट बाई 44 फीट से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नही करें।"

अंत में निगरानीकर्ता को उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरांत यह गलत रूपेण, बिना स्वामित्व व कब्जे के तथा म्याद बाहर प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नही होने से खारीज करने का आग्रह किया गया।

6. हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि:-

(1) निगरानीकर्ता-मीठालाल द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह निगरानी दिनांक 06.01.2020 को प्रस्तुत की गई है। जिसमें नगर पालिका बाली द्वारा मीठालाल को आवंटित खांचा भूमि का पंजीबद्ध विक्रय विपत्र संख्या 25 दिनांक 24.01.2005 का अप्रार्थी सं० 1-मोहम्मद अयुब को पत्रावली संख्या 15/2005-06 में दुबारा आवंटन/पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 30.9.14 के कथन को लेकर चुनौति दी गई है, जबकि रेस्प० सं० 2-नगर पालिका बाली द्वारा स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के आवंटन में दिशाएं गलत दर्शायी जाने का उल्लेख पाया गया है।

(2) निगरानीकर्ता द्वारा स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के आवंटन में दिशाओं का संशोधन हेतु नगर पालिका बाली में आवेदन/सहमती पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है।


डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर




(3) निगरानीकर्ता द्वारा खुद को आवंटित खांचा भूमि का पंजिबद्ध बेचान दिनांक 17.06.2010 को चेलाराम, राईगाराम पुत्र भूराराम निवासी सेसली को कर दिया गया है। जिससे उक्त निगरानी प्रथम दृष्टया बिना हक, अधिकार, व स्वामित्व/कब्जे के पोषणीय नहीं होना पायी जाती है।

(3) वादग्रस्त भूमि को लेकर माननीय सिविल न्यायालय बाली के समक्ष अप्रार्थी सं० 1- मोहम्मद अयूब का मूलवाद विचाराधीन है, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा सिविल विविध प्रकरण सं० 34/19 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2020 द्वारा उभय पक्ष को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है। अतः इस स्थिति में इस मामले में न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से, तदनुसार खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




17/4/2023
(कैलाश चन्द मीना)
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
जोधपुर